

प्रति,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/1422/2010-11, दिनांक 11.6.2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ₹ 10,00,00,000/— (संयोजित रूप से दस करोड़ मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष 45 प्रतिशत अंश के कम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का उक्त उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय निगमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत आयोगनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोगनागत-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोगनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-04-शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति (जिला योजना)-43-वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त-ई-11-1710/वस-2310, दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

सचिव

20/8

(डी०के० सिंह)

विशेष सचिव

28

संख्या- 2435(1)/79-5-2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं सहकारी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- नियोजन अनुभाग-4
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
- 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

व्यय प्रति-प्रमाणित

(इन्द्रजीत सिंह)
अनुसचिव

(डी०के० सिंह)

विशेष सचिव

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना अयोग,

राज्य परियोजना कार्यालय,

विद्या भवन, लखनऊ,

उ०प्र०

प्रक

डी0के0 सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संज्ञा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक: 16 अगस्त, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हेतु अनुदान की स्वीकृति।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक अवर राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/1422/2010-11, दिनांक 11.6.2010 की ओर आशयात्मक संदर्भित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गए प्रस्तावित उक्त वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ₹ 2,50,00,00,000/- (रुपयों में अठार पचास करोड़ मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष्य के प्रतिशत अंश के कम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। सर्व धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निर्वर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार अर्हता के अधीन जारी की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा -

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्य के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष्य प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-रा. के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-2-शिक्षकों/शिक्षा मित्रों की नियुक्ति (के.55/रा.45-रा.)-43-वेतन भत्ते आदि के लिए अनुदान के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सख्या नीति-ई-11 1710/दस-2010 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भारत से,

Abh

(डी०ए० वि०)

वित्त सचिव

२६

संख्या: 2434(1)/79-5-2010 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं महापुरुष विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 5- नियोजन अनुभाग-4
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
 - 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 8- गार्ड फाइल।

भारत से,

(डी०ए० वि०)

अनुसचिव

संख्या: 2123/79-5-2010-43/2000टीसी

सेपक,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वेतनादि से भिन्न मदों हेतु अनुदान की स्वीकृति।

सहोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/1422/2010-11, दिनांक 11.6.2010 की ओर आशय रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रु० 1,00,00,00,000/- (एक अरब मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष 40 प्रतिशत अंश के क्रम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का प्रयोजन ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का प्रयोजन परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अधमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-74 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा प्रेषित पत्र आयोजनायें-01-वेतनादि से भिन्न मदें (के.55/र.45-रा.)-20-सहायक अनुदान/अनुदान/सहायता के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त-ई-11-1710/दस-2010 के दि. 12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भा.स.स.
2/10
(डी०ए० सिंह)
वित्त सचिव
28

संख्या- 2123(1)/79-5-2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5- नियोजन अनुभाग-4
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
- 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- मार्ट फाइल।

आ.स.स.
/10
(इन्द्र क. ज. सिंह)
अनुसचिव

प्रेषक,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सोदा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वेतनादि से भिन्न मदों हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/1422/2010-11, दिनांक 11.6.2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रू० 5,00,00,000/- (रुपये पांच करोड़ मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष 45 प्रतिशत अंश के क्रम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का उक्त उद्यत योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उक्त परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा -

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्य के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-71 से अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजना-7-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधायक योजनाएँ-03-वेतनादि से भिन्न मदें (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अनुदान/सहायता के नामे डाला जायेगा।

4-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वित्त-ई-11-1710/दस-2010 दि. 10/12 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भारतीय

2/8/10

(श्री 000 सिंह)
वित्त सचिव
28

संख्या- 2149(1)/79-5-2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2-- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
- 3-- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 निशातगंज, लखनऊ।
- 4-- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
- 5-- नियोजन अनुभाग-4
- 6-- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
- 7-- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 8-- रार्ड फाइल।

अ. 000 सिंह

(इन्दर प्र सिंह)
अनुसचिव

संख्या: 364³¹/26-ब0प्र0-2010-243/2004टी.सी.

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव।
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/192/2010-11, दिनांक 15-4-2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रु0 10,00,00,000/- (रुपये दस करोड़ मात्र) की राहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 45 प्रतिशत धनराशि के रूप में आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1) स्वीकृत की गयी धनराशि में से जो भी धनराशि व्यय की जायेगी, उसके लिए विभाग/अधिकारी दो-दो महीने का रोस्टर तैयार कर शासन से अनुमोदित करा लेंगे। तदनुसार ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत ही निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 08 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएँ परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2/.

FC

R

ASPD

01/05/10

ASPD/FC

S.P.D.
41516

05
8/5/10


S.A.O.

FC
8/5/10

श्री 9711

h
S. K. Singh
8/5/10


- 4- घनराशि व्यय करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में अपेक्षित केन्द्रांश प्राप्त हो गया है।
- 5- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। प्रस्तावित कार्यों पर शासन की पूर्ण सहमति प्राप्त की जायेगी।
- 6- स्वीकृत घनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही घनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक--"2202--सामान्य शिक्षा-01--प्रारम्भिक शिक्षा--आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01--केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरो-निर्धारित योजनाएँ-0102--सर्व शिक्षा अभियान (जिला योजना) (के.55/स.45-रा.)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या- 364³¹ (1)/26-ब०प्र०-2010- तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 3- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
 - 4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 6- नियोजन अनुभाग-4
 - 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/एन०आई०सी० की प्रति।
 - 8- अनुप्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 9- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ /गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(उषा शंकर सिंह)
अनुसचिव।

संख्या: 364/26-ब0प्र0-2010-243/2004टीसी

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव।
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

✓ राज्य परियोजना निदेशक,
उ० प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/192/2010-11, दिनांक 15-4-2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रु० 25,00,00,000/- (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) की राहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 45 प्रतिशत धनराशि के रूप में आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1) स्वीकृत की गयी धनराशि में से जो भी धनराशि व्यय की जायेगी, उसके लिए विभाग/अधिकारी दो-दो महीने का रोस्टर तैयार कर शासन से अनुमोदित करा लेंगे। तदनुसार ही धनराशि को व्यय किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत ही निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 08 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

2/

FC
R
ASPI
01/05/10

ASPI/FC

S.P.D
4/5/10

06
4/5/10


SAD

4/5/10

4/5/10


3/5/10

- 4- धनराशि व्यय करने से पूर्व प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजना में अनिश्चित केन्द्रांश प्राप्त हो गया है।
- 5- राज्य परियोजना निदेशक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, निशातगंज, लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है। प्रस्तावित कार्यों पर शासन की पूर्ण सहमति प्राप्त की जायेगी।
- 6- स्वीकृत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्तीय वर्ष 2010-11 के अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक --"2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-सर्व शिक्षा अभियान योजना (के.55/रा.45-रा)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता" के नामे डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय डाप संख्या-बी-1-951/दसा-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-364(1)/26-ब०प्र०-2010- तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महललेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 3- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
 - 4- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
 - 5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 6- नियोजन अनुभाग-4
 - 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/एन०आई०सी० की प्रति।
 - 8- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग।
 - 9- कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उषा शंकर सिंह)
अनुसचिव।

संकेत

सी०के० शिक्षा
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

जवा में

राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक: 9/ अप्रैल 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वेतनादि से भिन्न मदों हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/193/2010-11, दिनांक 15.4.2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रू० 1,00,00,00,000/- (रूपये एक अरब मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष 45 प्रतिशत अंश के कम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-01-वेतनादि से भिन्न मदें (के.55/रा.45-रा.)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

APD(D)/FC

ASPD
03/5

ASPD/FC

S.P.D.
26/4/10

FC

5/5/10

SBD
FC
5/5/10


श्री 9/5

5/5/10

5/5/10

4 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय डाप संख्या-दी-1-951/वस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।


भवदीय,


(आनंदराज सिंह)
विशेष सचिव।
M

संख्या- 1079(1)/79-5-2010 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 5- नियोजन अनुभाग-4
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
 - 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनंदराज सिंह)
अनुसचिव।

प्रेषक,

डी०के० सिंह
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 2/अप्रैल, 2010

विषय: सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में वेतनादि से भिन्न मदों हेतु अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के पत्र संख्या-वित्त/राज्यांश/193/2010-11, दिनांक 15.4.2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा किए गये प्रस्तावानुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रू० 5,00,00,000/- (रूपये पांच करोड़ मात्र) भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा में धनराशि के सापेक्ष 45 प्रतिशत अंश के कम में श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना हेतु ही किया जायेगा, अन्य किसी मद में नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि राज्य परियोजना निदेशक के निवर्तन पर रखी जायेगी एवं आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिए गये दिशा-निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत निर्धारित कार्यों के लिए किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि व्यय की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि के अनुपात में है।
- (3) प्रत्येक जनपद के लिए स्वीकृत योजना के सापेक्ष प्रत्येक जनपद के लिए किए जाने वाले वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बेसिक शिक्षा विभाग की अनुदान संख्या-71 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-111-सर्व शिक्षा अभियान-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-03-वेतनादि से भिन्न मदें (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

APD(D)/FC

ASPD
0315

ASPD/FC

S.P.D.
26/4/10

FC

APD
5/5/10

SAD

5/5/10

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-951/दस-2010-231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Jub
(डी०के० सिंह)
विशेष सचिव।

२

संख्या- 1162 (1)/79-5-2010 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
- 1- महालेखाकार, प्रथम, लेखा एवं हकदारी, प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2- अनुसचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
 - 3- शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० निशातगंज, लखनऊ।
 - 4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
 - 5- नियोजन अनुभाग-4
 - 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
 - 7- अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Jub
(इन्द्रराज सिंह)
अनुसचिव।